इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 119] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2019—फाल्गुन 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 77-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ३ सन् २०१९

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, २०१९

[''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 8 मार्च, 2019 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया]

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९९९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (३) में, विद्यमान परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यह और कि सदस्यों की पदावधि के समाप्त होने पर, यदि प्रबंध समिति पुनर्गठित नहीं होती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों की पदावधि का केवल एक बार विस्तार ऐसे विस्तार का कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसी समाप्ति की तारीख से, छह माह की कालावधि के लिए, कर सकेगी. निर्वाचन के पश्चात्, यह विस्तारित कालावधि उपधारा (३) और उपधारा (७) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में समायोजित की जाएगी.''.

भोपाल :
तारीख : ८ मार्च, २०१९.

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019

क्र. 77-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE

No. 3 OF 2019

THE MADHYA PRADESH SINCHAI PRABANDHAN ME KRISHKON KI BHAGIDARI (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2019

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 8th March, 2019].

Promulgated by the Governor in the seventieth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title.

1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari (Sanshodhan) Adhyadesh, 2019.

Madhya Pradesh Act No. 23 of 1999 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 3.

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub–section (3), in the existing proviso, for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that on expiry of term of office of members, if the managing committee is not reconstituted, the State Government, may, by notification, extend the term of office of the members for the period of six months only once, from the date of such expiration, recording the reason for such extension. After election this extended period shall be adjusted in the period as specified in sub-section (3) and sub-section (7).".

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Madhya Pradesh.

Bhopal :
Dated the 8th March 2019

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.